

प्रेस नोट

दिनांक – 24.10.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में देशी व अंग्रेजी शराब बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही—

दिनांक 23.10.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम माधवपुर चकता में दबिश देकर अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे 01 अभियुक्त देव प्रयाग शुक्ला उर्फ बबला शुक्ला पुत्र बड़ी नाथ शुक्ला निवासी माधवपुर चकता, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 225 अदद नगीना जबरदस्त देशी शराब के पाउच (कुल 45 लीटर), 45 अदद विण्डीज जामुन देशी शराब के पाउच (कुल 09 लीटर), 02 अदद मैजिक मोमेंट वोडका (कुल 360 मिली) तथा शराब बिक्री के 1,200 रुपये बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 सम्बन्धित धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई। साथ ही बरामदगी से सम्बन्धित वाहन हुन्डई i 20 संख्या UP32 ND 0312 को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01- देव प्रयाग शुक्ला उर्फ बबला शुक्ला पुत्र बड़ी नाथ शुक्ला, निवासी माधवपुर चकता, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 970/2026, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

- 225 अदद नगीना जबरदस्त देशी शराब के पाउच — कुल 45 लीटर
- 45 अदद विण्डीज जामुन देशी शराब के पाउच — कुल 09 लीटर
- 02 अदद मैजिक मोमेण्ट वोडका — कुल 360 मिली
- शराब बिक्री के ₹1,200/-
- वाहन हुन्डई i 20

गिरफ्तार करने वाली टीम—

1. आबकारी निरीक्षक श्रीमती वन्दना केसरवानी
2. उ0नि0 शिवम गुप्ता, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा
3. हे0का0 ध्रुव कुमार
4. का0 रोहित कुमार
5. का0 राम मोहन सिंह
6. का0 आकाश शर्मा
7. का0 आशीष सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 24.10.2026

साइबर अपराधों की शिकायतों एवं विवेचना में सहायता, डिजिटल साक्ष्यों के संकलन तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय के संबंध में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित-

गोण्डा। साइबर अपराध के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से अक्टूबर माह में चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.10.2026 को जनपद गोण्डा के समस्त थानों एवं जिला साइबर पुलिस थाना द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान आमजन को साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों में सहायता एवं उनकी विवेचना, डिजिटल साक्ष्यों के संकलन एवं संरक्षण तथा साइबर अपराधों की जांच में अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय के संबंध में जानकारी दी गई। साइबर अपराध की स्थिति में पीड़ितों को समय से शिकायत दर्ज कराने, उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा आवश्यकतानुसार संबंधित साइबर पुलिस/थाने से सहायता प्राप्त करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सतर्कता बरतने एवं संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 24-10-2026

मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा गांवों में पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक-

गोण्डा। मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोण्डा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के दौरान मिशन शक्ति टीमों ने महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें नारी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं स्वावलंबन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं। टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को बताया गया कि वर्तमान समय में डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ने के साथ-साथ साइबर अपराध के विभिन्न तरीके भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते से संबंधित विवरण, ओटीपी, एटीएम/डेबिट कार्ड की जानकारी अथवा अन्य गोपनीय सूचनाएं साझा न करें। अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध कॉल एवं मैसेज के माध्यम से भेजे गए प्रलोभनों में आने तथा सोशल मीडिया पर अपरिचित व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक संवाद करने के संबंध में भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने, अपनी निजी तस्वीरें एवं जानकारियां साझा करते समय सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल संबंधित माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया। जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान मिशन शक्ति टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, पीछा करने, अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न अथवा अन्य किसी अप्रिय घटना की स्थिति में चुप न रहें, बल्कि तत्काल पुलिस को सूचना दें। उन्हें यह भी बताया गया कि पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है तथा उनकी शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में बिना किसी भय या

संकोच के सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान मिशन शक्ति टीमों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सहायता से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई, जिनमें वीमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्पलाइन-181, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 तथा साइबर अपराध हेल्पलाइन-1930 प्रमुख हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं को इन हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। गोण्डा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने, साइबर अपराधों के प्रति सतर्क करने तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोण्डा पुलिस आमजन से अपील करती है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या अपराध की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।